

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली का अध्ययन

मनदीप कुमार, शोधार्थी

वाणिज्य विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

डॉ. संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर

वाणिज्य विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

सारांश :

रोजगार की कमी भारत में एक मुख्य समस्या है। भारत की विशाल जनसंख्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, युवा में कौशल की कमी इस समस्या को और विकट रूप प्रदान करती है। इस समस्या को दूर करने हेतु समय-समय पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं के कौशल में वृद्धि करके उन्हें अपने स्वरोजगार को स्थापित करने में सहायता करता है। प्रस्तुत शोध में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, संस्थान की अवधारणा, संगठन, संस्थान के उद्देश्य व कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है। इसके लिए सूचनाओं का संग्रहण संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, पूर्व में हो चुके शोध व व्यक्तिगत संपर्क द्वारा किया गया है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष से यह पता चलता है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के योग्य बनाता है। इसकी कार्यप्रणाली स्पष्ट व प्रभावपूर्ण है।

मुख्य शब्द :- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), बेरोजगारी, कौशल वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण अवधि।

भूमिका :-

भारत एक विकासशील देश है। यह अपने विचार क्षेत्रफल व प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से विकास की तरह अग्रसर है। अपने भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करके खुद को विकसित देशों की श्रेणी में ले जा सकता है। परंतु बिना मानवीय संसाधनों के उचित विकास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग संभव नहीं है। मानवीय संसाधनों के विकास करने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक मुख्य समस्या रोजगार की कमी है। भारत की विशाल जनसंख्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता व युवाओं में कौशल की कमी इसे और विकट रूप प्रदान करती है। रोजगार की समस्या को दूर करने हेतु समय-समय पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय व अग्रणी बैंक के संयुक्त प्रयास की एक महत्वपूर्ण योजना है। आरएसईटीआई का प्रबंध एवं संरक्षण अग्रिम बैंक द्वारा किया जाता है। संपूर्ण भारत वर्ष में लगभग 587 आरएसईटीआई की स्थापना की गई है। यह ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार उचित प्रशिक्षण देकर कौशल वृद्धि में सहायता करता है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मानवीय संसाधनों का विकास करके उन्हें स्टार्टअप या छोटे पैमाने के उद्यम स्थापित

करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह कार्य ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा करता है।

साहित्य समीक्षा :-

राव एवं चटर्जी (2016) ने अपने शोध पत्र, "उद्यमियों का निपटान : आरएसईटीआई एक प्रयास" में बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- उत्पाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- प्रक्रिया उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- कौशल उन्नयन और विकास कार्यक्रम।

मम्मन, जोशी, शेनॉय एवं कुमार (2017) ने अपने शोध पत्र, "उद्यमी प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक : एक अध्ययन" में बताया है कि दक्षिण भारत में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की प्रभावशीलता पर संस्थान के नेतृत्व, मानव संसाधन प्रबंध, सहयोग पूर्ण संस्थागत ढांचे का गहरा प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objective of Study) :-

प्रस्तुत शोध कार्य निम्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है :-

- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की उत्पत्ति की अवधारणा का अध्ययन करना।
- संस्थान के संस्थागत ढांचे का अध्ययन करना।
- संस्था की स्थापना के उद्देश्यों का अध्ययन करना।
- संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- संस्थान की संपूर्ण कार्यप्रणाली का ध्यान करना।

शोध संरचना (Research Design) :-

अध्ययन की प्रकृति (Nature of Study) :-

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक है। इसमें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की अवधारणा व कार्य प्रणाली का अध्ययन किया गया है।

सूचनाओं के स्रोत व संग्रहण (Source of Information collection) :-

सूचनाओं के संग्रहण के लिए प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत (Primary Source) :-

प्राथमिक सूचनाओं का संग्रहण व्यक्तिगत भ्रमण व संस्था में व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा किया गया है।

द्वितीय स्रोत (Secondary Source) :-

द्वितीय स्रोत के रूप में संस्थान से संबंधित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, सरकारी रिपोर्ट, आधिकारिक वेबसाइट, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया है।

अवधारणा :-

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की अवधारणा का निर्माण श्री धर्मस्थल मंजूनाथ्रेसर ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक द्वारा वर्ष 1982 में कर्नाटक के उजीरे में स्थापित रूडसेटी मॉडल से हुई है। रूडसेटी का कार्य बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को दीर्घकालीन प्रशिक्षण के साथ-साथ अल्पकालीन प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। रूडसेटी द्वारा बेरोजगार युवाओं को न केवल उनकी रुचि के कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि उन्हें बैंक के साथ मिलाकर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) :-

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की एक योजना है। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) व भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अग्रिम बैंक योजना (Lead Bank Scheme) का एक संयुक्त प्रयास है। भारत के लगभग प्रत्येक जिले में यह अग्रिम बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। आज संपूर्ण भारत देश के लगभग प्रत्येक जिले में कुल 587 आरएसईटीआई (RSETI) कार्यरत है।

उद्देश्य :-

- ✓ बेरोजगार युवाओं की पहचान करना, उन्हें प्रेरित करना, प्रशिक्षित करना और स्वरोजगार को वैकल्पिक कैरियर के रूप में अपनाने में उनकी सहायता करना।
- ✓ आजीविका कमाने के लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान करना।
- ✓ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- ✓ सरकार के आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
- ✓ आर एस ई टी आई (RSETI) द्वारा प्रशिक्षित सूक्ष्म उद्योग की स्थिरता और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट लीकेज और कौशल विकास करना।
- ✓ परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- ✓ उद्यमिता व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।
- ✓ सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण व वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

प्रयोजन (Sponsorship) :-


आर एस ई टी आई (RSETI) को बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसलिए इसका स्वामित्व प्रायोजक बैंक के पास ही होता है। इसका नाम भी प्रायोजक बैंक के साथ जोड़ कर दिखाया जाता है। (जैसे – PNB RSETI, SBIRSETI आदि)

अन्य संगठन सहायक के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। क्योंकि आरएसईटीआई (RSETI) को सरकार सहित कई एजेंसियों द्वारा समर्थन व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य पक्षों को भी इसके शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

RSETI के प्राथमिक हितधारक :-

- प्रायोजक बैंक (Sponsor Bank)
- राज्य सरकारें।

- अन्य संयुक्त प्रायोजक ।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।



|

स्थापना प्रक्रिया (Establishment Procedure) :-

आरएसईटीआई (RSETI) की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है:-

- ✓ प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर अग्रिम बैंक की भूमिका का चयन करके उसे आरएसईटीआई (RSETI) स्थापना का उत्तरदायित्व प्रदान करती है।
- ✓ जिले का अग्रणी बैंक आरएसईटीआई को वित्तीय व प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है।
- ✓ प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा संबंधित बैंक को निशुल्क किया जाता है।
- ✓ आरएसईटीआई के लिए भवन का निर्माण संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है।
- ✓ जब तक उपयुक्त भूमि की पहचान व भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होता। तब तक आरएसईटीआई (RSETI) का संचालन किराए की परिसर या जिले में उपलब्ध कराए गए किराया मुक्त सरकारी आवास में होगा।

जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा :-

आरएसईटीआई (RSETI) प्रत्येक जिले में निम्नलिखित संगठनात्मक अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठन ढांचे का पालन किया जाता है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	संख्या
1	निर्देशक (Director) बैंक द्वारा नियुक्त	1
2	प्राध्यापक (Faculty)	2
3	कार्यालय सहायक (Office Assistant)	2
4	अटेंडर (Attender)	1
5	चौकीदार कम माली (Watchmen Cum Gardener)	1
कुल संख्या		7

निर्देशक के कार्य :-

- ✓ आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करना।
- ✓ जागरूकता शिविरों का आयोजन करना व प्रशिक्षण के लिए आये आवेदनों का प्रबंधन करना।
- ✓ बैंकों / डीआरडीए, नाबार्ड, अन्य सरकारी अधिकारियों व गैर सरकारी संगठनों के साथ अच्छा संपर्क बनाए रखना।
- ✓ व्यावहारिक पहलू के लिए प्रशिक्षण में शामिल होना।
- ✓ प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन (टीएमए) करना।

प्राध्यापक (फैकल्टी) के कार्य :-

- ✓ आरएसईटीआई के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में निर्देशक की सहायता करना।
- ✓ व्यवहार संबंधी पहलुओं पर सत्र लेना।
- ✓ दैनिक लॉग लिखना, खातों का सत्यापन करना, रिपोर्ट तैयार करना, पत्राचार कार्य आदि।

कार्यालय सहायक के कार्य :-

- ✓ सभी रजिस्टर को बनाना व अपडेट रखना।
- ✓ दैनिक आधार पर खाते लिखना व खातों की पुस्तकों का मिलान करना।
- ✓ निर्देशक, प्राध्यापक (फैकल्टी) की दिन – प्रतिदिन के कार्य में सहायता करना।
- ✓ नियमित अंतराल पर प्रशिक्षित उम्मीदवारों के कार्य स्थिति का जायजा लेते रहना।

आधारभूत संरचना :-

प्रत्येक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की आधारभूत संरचना संबंधित न्यूनतम सुविधाएं इस प्रकार से होगी।

- न्यूनतम आधा एकड़ भूमि – आदर्श 1 एकड़ है।
- एक निर्देशक कक्ष (कम से कम 10 × 10 फीट आकार का)

➤ दो क्लास रूम :-

- 40 से 50 उम्मीदवार को बैठने के लिए ।
- डेस्क व ब्लैक बोर्ड के साथ ।

➤ दो आराम गृह :-

- 40 से 50 उम्मीदवारों के लिए ।
- शौचालय, स्नान सुविधाओं के साथ ।
- महिला / पुरुषों के लिए अलग-अलग ।
- बंकर बेड के साथ ।

➤ एक कंप्यूटर लैब / वर्कशॉप ।

➤ एक भोजन कक्ष :-

- 20 से 40 फीट न्यूनतम ।
- 40 से 50 उम्मीदवारों के लिए ।
- बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों के साथ ।
- तीन या चार मेज भोजन के लिए ।

➤ एक कार्यालय कक्ष ।

➤ एक अतिथि कक्ष ।

उपरोक्त आधारभूत संरचना में आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

आरएसईटीआई (RSETI) द्वारा अनेक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न विशेषताओं के आधार निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :-

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या
1	कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम	75
2	उत्पाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम	134
3	प्रक्रिया उद्यमिता विकास कार्यक्रम	151
4	सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम	41
5	कौशल उन्नयन कार्यक्रम और विकास कार्यक्रम	18
	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	419

उपरोक्त कार्यक्रमों में से लगभग 60 के करीब कार्यक्रमों का संचालन संपूर्ण भारत देश में होता है। बाकी कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार होता है। प्रत्येक बैच में 25 से 30 तक प्रशिक्षणार्थियों को रखा जाता है।

प्रशिक्षण अवधि :-

आरएसईटीआई (RSETI) द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनकी प्रवृत्ति व आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अल्पावधियों में बांटा गया है।

क्रम संख्या	प्रशिक्षण अवधि	उदाहरण
1	6 – 7 दिन	सामान्य उधमिता कार्यक्रम आदि।
2	10 दिन	सूअर पालन आदि।
3	13 दिन	जूट बैग उद्यमी आदि।
4	15 दिन	फूड प्रोसेसिंग आदि।
5	21 दिन	इन्वर्टर मरम्मत आदि।
6	30 दिन	मोबाइल मरम्मत आदि।
7	45 दिन	कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत आदि।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि में स्थानीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहता है।

प्रशिक्षण के लिए योग्यता :-

आरएसईटीआई (RSETI) में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई विशेष योग्यता का निर्धारण नहीं है। फिर भी निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है :-

- आवेदक भारत का नागरिक व उस जिले का स्थाई निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में हो।
- आवेदक को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो
- महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को प्रशिक्षण में वरीयता दी जाती है।

निष्कर्ष :-

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, ग्रामीण स्वरोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक जिले में स्थापित होने के कारण ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की पहुंच इस तक आसान हो जाती है। इसके द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पावधि के हैं। जो कम समय अवधि में बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा उन्हें स्वरोजगार स्थापना के योग्य बनाता है। साथ ही आरएसईटीआई (RSETI) द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायता की जाती है। जो ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Rao , Venkata Madhusdan and Chatterjee , Shankar (2016), " Settlement of Entrepreneur : An Endeavour of RSETI ", International Journal of Academic Research and Development , Vol. 01, Issue 05 , May 2016 , PP 85 - 86 , ISSN : 2455 – 4197 www.academicjournal.com
2. Mamman. Jose , Joshi . HG , Shenoy . Sandeep , Kumar N Subrabmaya (2017) , " Factors affecting effectiveness of Entrepreneurial Training Institute : A study " , International Journal of Economics , Vol 14 (15) , PP 534 - 544 , ISSN : 0972 – 9380
3. <http://nirdpr.org.in/reeti/aboutus.aspx> Retrieved on 12 July 2023 at 10 AM
4. http://www.nacer.in/staffing_Pattern.html Retrieved on 15 Aug 2023 at 7PM
5. http://www.nacer.in/course_Modules.html Retrieved on 18 Aug 2023 at 08: 33 AM
6. RSETI SOP 1,2 and 3